झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

(*एल.पी.ए क्षेत्राधिकार)*

एल.पी.ए संख्या 470/2023

1. सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड अपने अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के माध्यम से, कार्यालय दरभंगा हाउस, रांची, डाकघर-जी.पी.ओ, थाना-कोतवाली, जिला-रांची, झारखंड
2. निदेशक (कार्मिक), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, कार्यालय दरभंगा हाउस, रांची, डाकघर - जी.पी.ओ, थाना-कोतवाली, जिला-रांची, झारखंड
3. महाप्रबंधक (एमपी एवंआईआर), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, कार्यालय दरभंगा हाउस, रांची, डाकघर -जी.पी.ओ, थाना-कोतवाली, जिला-रांची, झारखंड
4. महाप्रबंधक, कथारा क्षेत्र, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, डाकघर- बीटीपीएस, थाना-बोकारो थर्मल, जिला-बोकारो
5. परियोजना अधिकारी, जारंगडीह कोलियरी, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, डाकघर-जारंगडीह, थाना-बोकारो थर्मल, जिला-बोकारो

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. संजू सैन, पति दिबाकर सैन, आयु लगभग 53 वर्ष, निवासी जरांगडीह, जारंगडीह, डाकघर-जारंगडीह, थाना-बोकारो थर्मल, जिला-बोकारो(झारखण्ड)
2. तुकुना स्वैन,पिता दिबाकर सैन, आयुलगभग 33 वर्ष, निवासी जरांगडीह, जारंगडीह, डाकघर-जारंगडीह, थाना-बोकारो थर्मल, जिला-बोकारो(झारखण्ड)

... विरोधी पक्ष

कोरमः माननीय न्यायधीश श्री चंद्रशेखर
माननीय न्यायधीश श्रीमती अनुभा रावत चौधरी

याचिकाकर्ता के लिएः श्री अमित कुमार सिन्हा, अधिवक्ता
उत्तरदाता के लिएः कोई नहीं

18 दिसंबर 2023

<u>द्वारा श्री चंद्रशेखर, न्यायधीश</u>

<u>अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 8026/2023</u>

यह अंतर्वर्ती आवेदन सीमितता अधिनियम की धारा 5 के तहत दायर किया गया है, जिसमें वर्तमान पत्रिका अपील दायर करने में 104 दिनों की देरी को माफ करने की प्रार्थना की गई है।

2. इस अंतर्वर्ती आवेदन में किए गए बयानों के मद्देनज़र, इस अपील दायर करने में 104 दिनों की देरी को माफ किया जाता है।

3. तदनुसार, 2023 का आई.ए. संख्या 8026 स्वीकृत है।

<u>एल.पी.ए. संख्या 470/2023</u>

4. केंद्रीय कोलफील्ड्स लिमिटेड (संक्षेप में, सीसीएल) ने रिट याचिका संख्या 383/2021 में

17 अप्रैल 2023 को पारित कोर्ट के रिट आदेश के खिलाफ अपील की है, जिसमें रिट कोर्ट ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि तुकुना स्वैन के लिए अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन करने में कोई देरी नहीं हुई है।

5. 5 दिसंबर 2017 के आदेश द्वारा, केंद्रीय कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के जारंगडीह कोलियरी के वरिष्ठ प्रबंधक (कार्मिक) ने तुकुना स्वैन को अनुकम्पा नियुक्ति देने से इनकार कर दिया, मुख्य रूप से इस कारण कि राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते (संक्षेप में, एनसीडब्लूए) में कर्मचारी की सिविल मृत्यु की स्थिति में अनुकम्पा आधार पर रोजगार के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

6. संक्षेप में, दिबाकर सैन को केंद्रीय कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीए) के तहत कटारा क्षेत्र में रेलवे साइडिंग पर जारंगडीह कोलियरी में नियुक्त किया गया था। उनके पुत्र तुकुना स्वैन द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कि उनके पिता 8 जून 2009 से लापता हैं, इस संबंध में बोकारो थर्मल थाना में एक विशेष डायरी प्रविष्टि की गई। तुकुना स्वैन ने यह घोषणा करने के लिए सिविल मुकदमा संख्या 06/2017 दायर किया कि उनके पिता, अर्थात् दिबाकर सैन, जो 8 जून 2009 से लापता हैं, ने सिविल मृत्यु प्राप्त की है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 अदालत द्वारा वैधानिक अनुमान लगाने का प्रावधान करती है कि एक व्यक्ति तब तक जीवित नहीं है जब तक कि प्रतिकूल पक्ष द्वारा इसका विपरीत प्रमाणित न किया जाए। इस प्रकार की एक घोषणा व्यवहार न्यायालय द्वारा 1 नवंबर 2017 के निर्णय के माध्यम से की गई कि उत्तरदाता संख्या 2 के पिता ने नागरिक मृत्यु प्राप्त की। सिविल मुकदमा संख्या 06/2017 में निर्णय प्राप्त करने के बाद, उत्तरदाता संख्या 1 ने 24 नवंबर 2017 को अपने पुत्र के लिए अनुकम्पापूर्ण नियुक्ति के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उक्त आवेदन को 5 दिसंबर 2017 के आदेश द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

7. इससे व्यथित होकर, उत्तरदाताओं ने रिट याचिका संख्या 383/2021 में रिट कोर्ट का रुख किया, जिसे निम्नलिखित अवलोकन के साथ अनुमति दी गई:

> *"9. हालांकि उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता ने "केंद्रीय कोलफील्ड्स लिमिटेड उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एवं अन्य बनाम श्रीमती पार्देन उरांव" (उपरोक्त) के मामले का उल्लेख किया है, जिसमें यह कहा गया था कि उत्तरदाता के पुत्र को अनुकम्पा नियुक्ति का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने उत्तरदाता के पति की मृत्यु के 10 साल बाद ऐसी नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन उक्त मामले में तथ्यात्मक पहलू वर्तमान मामले से भिन्न हैं। संदर्भित मामले में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए दावा तब किया गया जब सिविल मृत्यु की घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया गया था। देरी के अलावा, उस मामले की एक और ध्यान देने योग्य विशेषता यह है कि उत्तरदाता पहले से ही कंपनी में सेवा में थी। वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता संख्या 2 के पिता परिवार के एकमात्र कमाने वाले थे और याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन करने में कोई देरी प्रतीत नहीं होती। याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा पति की नागरिक मृत्यु की घोषणा से पहले किया गया कोई भी आवेदन स्वचालित रूप से उत्तरदाता कंपनी द्वारा उनके पति की नागरिक मृत्यु की गैर-घोषणा का बहाना बनाकर रोक दिया जाता।याचिकाकर्ताओं की ओर से उत्तरदाताओं से याचिकाकर्ता संख्या 2 को सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति प्रदान करने के*

लिए तुरंत संपर्क करने में कोई देरी प्रतीत नहीं होती। हालांकि उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता द्वारा देरी का प्रश्न उठाया गया है, लेकिन 2/05.12.2017 के विवादित आदेश में केवल यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते के तहत कर्मचारी की नागरिक मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रित को अनुकम्पा आधार पर रोजगार प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। अस्वीकृति आदेश में याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा किए गए कथित विलंबित दावे का भी उल्लेख नहीं किया गया, जिसका अर्थ यह होगा कि उत्तरदाता इस बात से अवगत थे कि याचिकाकर्ता संख्या 1 ने अपने पति की नागरिक मृत्यु के संबंध में सक्षम व्यवहार न्यायालय से निर्णय प्राप्त करने के बाद तत्काल कदम उठाए थे। प्रतिवादी हलफनामा विवादित आदेश 2/05.12.2017 में दिए गए कारणों को पूरक करने का प्रयास करता है, जो किसी भी परिस्थिति में उत्तरदाताओं के मामले को मजबूत नहीं करेगा।

8. श्री अमित कुमार सिन्हा, केंद्रीय कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के लिए अधिवक्ता, विशेष अनुमति अपील (सी) संख्या 25656-25657/2017 में पारित आदेश का उल्लेख करते हैं, जिसका शीर्षक "*मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनाम कमलदेव कुमार*" है, यह बताते हुए कि नागरिक मृत्यु के कारण मृतक कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति का मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं तय किया गया, बल्कि उक्त मुद्दा जीवित रखा गया है। अधिवक्ता आगे "*केंद्रीय कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम पार्देन उरांव" (2021) 16 एससीसी 384* का उल्लेख करते हैं ताकि यह समर्थन किया जा सके कि लंबे समय के बाद अनुकम्पा नियुक्ति मृतक कर्मचारी के आश्रित को प्रदान नहीं की जा सकती।

9. एनसीडब्ल्यूए श्रमिक संघ, कोयला कंपनी और केंद्रीय सरकार के बीच एक समझौते का परिणाम है। एनसीडब्ल्यूए को वैधानिक शक्ति प्राप्त है और इसके अंतर्गत प्रावधान बाध्यकारी हैं [देखें, "*मोहन महतो बनाम केंद्रीय कोलफील्ड लिमिटेड" (2007) 8 एससीसी 549]*। सीसीएल की ओर से प्रस्तुत किया गया है कि एनसीडब्ल्यूए की धारा 9.3.0 में कर्मचारी की नागरिक मृत्यु की स्थिति में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान नहीं है और, ऐसे में, न्यायालय विधायी शक्ति के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता और धारा 9.3.0 के अंतर्गत एक नई श्रेणी का निर्माण नहीं कर सकता।

10. इस न्यायालय द्वारा कई आदेश पारित किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं: (i) रिट याचिका संख्या 3956/2011 जिसका शीर्षक "*बिजय कुमार प्रधान बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य*" है। (ii) रिट याचिका संख्या 4946/2011 जिसका शीर्षक "*पोडिन देवी बनाम केंद्रीय कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं अन्य*" है। (iii) रिट याचिका संख्या 7438/2013 जिसका शीर्षक "*मुन्नी देवी बनाम केंद्रीय कोलफील्ड्स लिमिटेड*" है। (iv) रिट याचिका संख्या 1794/2014 जिसका शीर्षक "*कमलदेव कुमार बनाम मेसर्स बीसीसीएल एवं अन्य*" है। (v) रिट याचिका संख्या 3303/2016 जिसका शीर्षक "*पुन्नी देवी बनाम भारत कुकिंग कोल लिमिटेड एवं अन्य*" है। (vi) रिट याचिका संख्या 330/2014 जिसका शीर्षक "*श्रीमती पार्देन उरांव बनाम केंद्रीय कोलफील्ड लिमिटेड*" है, और (vii) रिट याचिका संख्या 1632/2013 जिसका शीर्षक "*लतिका देवी बनाम केंद्रीय कोलफील्ड लिमिटेड एवं अन्य*" है। जिसमें इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक बार जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के तहत कोई घोषणा की जाती है, तो व्यक्ति की नागरिक मृत्यु और प्राकृतिक मृत्यु के बीच कोई भेद नहीं होता।

11. रिट कोर्ट का आदेश "पोडिन देवी" में एल.पी.ए संख्या 150/2014 में पुष्टि की गई थी

और विशेष अनुमति अपील (सी)...(सीसी) संख्या 4826/2017, जिसे सीसीएल ने उक्त आदेश को चुनौती देने के लिए दायर किया था, को खारिज कर दिया गया है। "*कमलदेव कुमार*" में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति अपील (सी) संख्या 25656-25657/2017 में चुनौती दी गई थी, जिसे पुष्टि की गई है। इसके बाद, "*मुन्नी देवी*" में रिट कोर्ट ने समान दृष्टिकोण अपनाया और सीसीएल को निर्देश दिया कि वह अपने कर्मचारी के आश्रित द्वारा सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति के लिए किए गए दावे पर निर्णय ले, जिसने नागरिक मृत्यु का सामना किया। "*पुन्नी देवी*" ने भी इसी मार्ग का अनुसरण किया और रिट कोर्ट द्वारा पारित आदेश को एल.पी.ए संख्या 341/2017 में पुष्टि की गई। इसी प्रकार, रिट याचिका(सिविल) संख्या 2531/2012 का रिट कोर्ट का आदेश "रवि रंजन बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य" में एल.पी.ए संख्या 658/2019 में भी अनुमोदित किया गया है। यह बार में स्वीकार किया गया है कि इस न्यायालय के आदेश "*पोडिन देवी*", "*मुन्नी देवी*", "*पुन्नी देवी*" और "*रवि रंजन*" को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई और ये अंतिमता प्राप्त कर चुके हैं। हाल ही में, इस न्यायालय ने एल.पी.ए संख्या 658/2019 में उपरोक्त मुद्दे पर विचार किया, जैसा कि निम्नलिखित है:

> *"10. श्री इंद्रनील भदुरी, अधिवक्ता (स्टैंडिंग काउंसल-IV) हालांकि यह प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे कि क्या अनुकम्पा नियुक्ति नागरिक मृत्यु के मामलों में दी जा सकती है या नहीं, इस प्रश्न को एल.पी.ए संख्या 326/2019 में खुला रखा गया है, जैसा कि 04 सितंबर 2023 के आदेश के पैराग्राफ संख्या 3 में संकेतित किया गया है। अधिवक्ता ने "अमित कुमार और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य" में एल.पी.ए संख्या 725/2018 में पारित एक आदेश का भी उल्लेख किया है, जो 2020 एससीसी ऑनलाइन झार 28 में रिपोर्ट किया गया है, यह बताते हुए कि कर्मचारी की नागरिक मृत्यु के संबंध में नागरिक न्यायालय द्वारा एक घोषणा होनी चाहिए और तभी राज्य द्वारा सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति के लिए दावा स्वीकार किया जा सकता है।*
>
> *11. "अमित कुमार" के आधार पर किए गए प्रस्तुतिकरण को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाना चाहिए कि झारखंड राज्य स्वीकार करता है कि नागरिक मृत्यु के मामलों में अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकती है। फिर भी, "बिजय कुमार प्रधान" में दिया गया निर्णय, जिसने अंतिमता प्राप्त की है, सभी अधिकारियों पर बाध्यकारी होना चाहिए और इस न्यायालय पर भी, जब तक कि इसे इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ द्वारा संदर्भित और तय नहीं किया जाता। अधिवक्ता ने इस न्यायालय की किसी बड़ी पीठ का ऐसा निर्णय लाने में विफलता दिखाई है जो "बिजय कुमार प्रधान" में दिए गए निर्णय के विपरीत हो।*
>
> *12. उपरोक्त पृष्ठभूमि तथ्यों में, हम पाते हैं कि झारखंड राज्य द्वारा वर्तमान पत्रिका अपील दायर करना और कुछ नहीं बस न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। झारखंड राज्य ने अपनी मुकदमा नीति के तहत अपने स्वयं के घोषित वादे का सम्मान करने में विफलता दिखाई है कि वह मुकदमे को बढ़ावा नहीं देगा और किसी भी छोटे से कारण पर मामले दायर नहीं करेगा, और इसके अलावा, अपील दायर करने में काफी देरी की गई है।*

13. 24 अगस्त 2023 की नोटिस के अनुसार, उत्तरदाता ने इस पत्रिका अपील का विरोध करने के लिए उपस्थित हुए हैं और इसलिए, राज्य पर ₹50,000/- का खर्च लगाया गया है, जिसे उत्तरदाता को छह सप्ताह के भीतर भुगतान किया जाएगा।

14. एल.पी.ए. संख्या 658/2019 खारिज कर दिया गया है।

12. श्री अमित कुमार सिन्हा, केंद्रीय कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के लिए अधिवक्ता ने "पार्देन उरांव" का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय के पूर्व निर्णय बाध्यकारी उदाहरण नहीं हैं और रिट कोर्ट ने "पार्देन उरांव" में स्थापित कानून की अनदेखी करके कानून में गंभीर त्रुटि की है।

13. कानून का एक सिद्धांत, जो न्यायालय के निर्णयों द्वारा स्थापित किया गया है, बाध्यकारी स्वरूप प्राप्त करता है और इसे समान मामलों में न्यायालयों द्वारा पालन किया जाना चाहिए। स्कार्मन, एल) "टिवर्टन एस्टेट्स लिमिटेड बनाम वियरवेल लिमिटेड" ने .जे.1975) च 146 में कहा" :संगति निश्चितता के लिए आवश्यक है - जो कानून के महान उद्देश्यों में से एक है। " "कृष्णा कुमार बनाम भारत संघ) "1990) 4 एससीसी 207 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय द्वारा स्थापित कानून का सिद्धांत सभी भविष्य के मामलों पर लागू होना चाहिए जहाँ तथ्य मूलतः समान हों। स्टेयर डेसिसिस का सिद्धांत कानून को निश्चितता प्रदान करता है और लोगों को भविष्य में अपने मामलों को आकार देने में मार्गदर्शन करता है। स्टेयर डेसिसिस के पीछे का मार्गदर्शक सिद्धांत यह है कि न्यायालय का निर्णय, जिसे न्यायालय ने अपनाया है और जिस पर कार्य किया गया है, उसे बाधित नहीं किया जाना चाहिए।

14. श्रीमती पार्देन उरांव ने अपने पति की जगह अपने पुत्र की नियुक्ति के लिए एक प्रतिनिधित्व किया, जो 2002 से लापता थे। रिट याचिका को स्वीकार कर लिया गया और सीसीएल द्वारा दायर एल.पी.ए संख्या 718/2018 को इस न्यायालय की खंड पीठ ने खारिज कर दिया। इसलिए, सीसीएल ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, जिसे स्वीकार कर लिया गया।

15. "पार्देन उरांव" में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

> "8. अनुकम्पा नियुक्ति देने का पूरा उद्देश्य परिवार को उस अचानक संकट से उबरने में सक्षम बनाना है जो एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु के कारण उत्पन्न होता है। एक कर्मचारी की सेवा में मृत्यु होने से उसके परिवार को ऐसे आजीविका के स्रोत का अधिकार नहीं मिलता है। संबंधित प्राधिकरण को मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करना होगा, और केवल तभी जब उसे यह संतोष हो कि रोजगार के प्रावधान के बिना परिवार संकट का सामना नहीं कर पाएगा, तब ही परिवार के योग्य सदस्य को नौकरी की पेशकश की जाती है। उक्त निर्णय में यह भी कहा गया कि अनुकम्पा रोजगार एक उचित अवधि के बाद नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ऐसी नियुक्ति पर विचार करना कोई अधिकार नहीं है जिसे भविष्य में कभी भी लागू किया जा सके। यह भी कहा गया कि अनुकम्पा नियुक्ति का उद्देश्य परिवार को उस वित्तीय संकट से उबरने में मदद करना है जिसका सामना उसे एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु के समय करना पड़ता है;

अनुकम्पा नियुक्ति को महत्वपूर्ण समय बीतने और संकट समाप्त होने के बाद नहीं मांगा या प्रदान किया जा सकता है।

9. हम उच्च न्यायालय के साथ सहमत हैं कि उत्तरदाता के पुत्र को अनुकम्पा नियुक्ति से वंचित करने के लिए नियोक्ता द्वारा दिए गए कारण उचित नहीं हैं। नागरिक मृत्यु का सामना करने वाले कर्मचारी के पुत्र की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय कोल वेतन समझौते में कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त, केवल इस कारण कि उत्तरदाता काम कर रही है, उसके पुत्र को राष्ट्रीय कोल वेतन समझौते की संबंधित धाराओं के अनुसार सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। हालांकि, उत्तरदाता का पति 2002 से लापता है। उत्तरदाता के दो पुत्र, जो उसके पति के आश्रित हैं, रिकॉर्ड के अनुसार उत्तरदाता के आश्रितों के रूप में भी दर्शाए गए हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि उत्तरदाता के पति के लापता होने के तुरंत बाद कोई वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ था, क्योंकि उत्तरदाता रोजगार में है। हालांकि नियोक्ता द्वारा उत्तरदाता द्वारा मांगी गई राहत को अस्वीकृत करने के लिए दिए गए कारण टिकाऊ नहीं हैं, हम इस बात से आश्वस्त हैं कि वर्तमान समय में उत्तरदाता के पुत्र को अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। उत्तरदाता द्वारा अपने पुत्र की अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन 2013 में दायर किया गया था, जो कि उसके पति के लापता होने के 10 साल से अधिक समय बाद है। चूंकि अनुकम्पा नियुक्ति का उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार को तत्काल सहायता प्रदान करना है, इसलिए उत्तरदाता का पुत्र अपने पिता के लापता होने के लंबे समय बाद अनुकम्पा नियुक्ति का हकदार नहीं है।

16. यह स्पष्ट है कि "पर्देन उरांव" मामले में की गई टिप्पणियों पर एक नज़र डालने से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों की पुष्टि की कि मृतक कर्मचारी के पुत्र को अनुकम्पा नियुक्ति से वंचित करना उचित नहीं था। सीसीएल का मुख्य तर्क कि एनसीडब्लूए में लापता कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति देने का कोई प्रावधान नहीं है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया प्रतीत होता है। रिपोर्ट किए गए निर्णय के पैरा संख्या 9 में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीडब्लूए में उस कर्मचारी के आश्रित की नियुक्ति पर कोई रोक नहीं है जिसने नागरिक मृत्यु का सामना किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी अवलोकन किया कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति से वंचित करने के लिए दिए गए कारण कानून में टिकाऊ नहीं थे। यह लंबे समय से था जब पूर्व कर्मचारी लापता हो गया था और परिवार में वित्तीय संकट का कोई प्रमाण नहीं था, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि पर्देन उरांव का पुत्र अनुकम्पा नियुक्ति का हकदार नहीं था।

17. एनसीडब्लूए का उद्देश्य कर्मचारी के परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह एक लाभकारी प्रावधान है, जिसका लाभ तब तक नहीं घटाया या प्रतिबंधित किया जाना चाहिए जब तक कि यह एनसीडब्लूए के मुख्य उद्देश्य के विपरीत न हो। मौद्रिक मुआवजे और अनुकम्पा नियुक्ति के लिए प्रावधान अध्याय-IX के तहत हैं, जो "सामाजिक सुरक्षा उपाय" प्रदान करता है। "मदन सिंह शेखावत बनाम भारत संघ एवं अन्य" (1999) 6 एससीसी 459 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "यह अदालत का कर्तव्य है कि वह प्रावधानों की व्याख्या करे, विशेष

रूप से लाभकारी प्रावधानों की, उदारता से ताकि इसे व्यापक अर्थ दिया जा सके, न कि संकीर्ण अर्थ जिससे नियम का मुख्य उद्देश्य नकारा जाए।" हमारा मानना है कि इस अदालत के निर्णय बाध्यकारी मिसाल हैं, कि एक मृतक कर्मचारी का आश्रित जिसे नागरिक मृत्यु का सामना करना पड़ा है, अनुकम्पा नियुक्ति का हकदार है। कोयला कंपनियों द्वारा उठाए गए रुख को अस्वीकार करने वाले इस अदालत के कई निर्णयों के बावजूद, सीसीएल ने फिर से उत्तरदाताओं के पक्ष में पारित आदेश को चुनौती देने का प्रयास किया है। सीसीएल एक केंद्रीय सरकारी उपक्रम है और इस प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य का एक उपकरण है। राज्य होने के नाते, सीसीएल को निष्पक्षता से कार्य करने की आवश्यकता है और इसके सभी कार्यों में निष्पक्षता का प्रतिबिंब होना चाहिए। हम आगे उस सिद्धांत का उल्लेख कर सकते हैं जो कहता है कि न्यायिक निर्णय को सही माना जाना चाहिए। लेकिन अजीब बात यह है कि सीसीएल सहित कोयला कंपनियों ने इस अदालत में लगभग हर उस आदेश के खिलाफ पत्र पेटेंट अपील दायर की है जो सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति के मामलों में नागरिक मृत्यु से संबंधित हैं। इस प्रथा की निंदा की जानी चाहिए।

18. एल.पी.ए. संख्या 470/2023 खारिज किया जाता है।

(श्री चंद्रशेखर, न्यायधीश)

(श्रीमती अनुभा रावत चौधरी, न्यायधीश)

आरके/एएफआर

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|